

झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची

Central University of Jharkhand, Ranchi

(संसदीय अधिनियम के तहत 2009 में स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

सं. झा.के.वि./हि.क./कार्यशाला/08/2011/ ४३

दिनांक: १७ फरवरी, 2020

सूचना

विश्वविद्यालय में दिनांक - 18.02.2020 को अपराह्न 2.30 बजे प्रशासनिक भवन के सम्मेलन कक्ष में “राजभाषा अधिनियम, 1963 और इसकी धारा 3 (3) के अंतर्गत आनेवाले दस्तावेज” पर एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

प्रशासन के सभी अधिकारी/कर्मचारी इस कार्यशाला में सादर आमंत्रित हैं।

प्रतिलिपि: सूचनार्थ

1. कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. वित्त अधिकारी के निजी सचिव
4. प्रशासन के समस्त अधिकारी/कर्मचारी
5. तकनीकी कक्ष - विश्वविद्यालय वेबसाइट
6. संबंधित फाइल
7. सूचना पट्ट

२१२
हिन्दी अधिकारी
१७/०२/२०२०

२१२
हिन्दी अधिकारी
१७/०२/२०२०